जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 25.06.2025

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा लूट/मारपीट व चोरी के मामले में कुल 05 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल *श्री सतीश कुमार सिंह* के गठित टीम द्वारा आज दिनांक 25.06.2025 को अभियुक्तगण नाम पता 01. सहवाग उर्फ भोलू निषाद पुत्र सरदार निषाद निवासी सई लंगड़ी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ।, 02. विकास साहनी उर्फ लक्की पुत्र सुभाग निवासी सोनवरसा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर ।, 03. शिवा पासवान पुत्र श्रीराम निवासी नौवदरी थाना मेंहदावल संतकबीरनगर ।, 04. दिलीप निषाद पुत्र जोखू निषाद निवासी तुलसीपुर थाना मेंहदावल संतकबीरनगर को रोडवेज मेंहदावल तथा 05. करन निषाद पुत्र जिलाजीत निवासी धौरापार थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को सोनवरसा मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 23.05.2025 को वादी श्री विजय कुमार चौरसिया पुत्र प्रहलाद चौरसिया निवासी ट्यूवेल कालोनी खलीलाबाद थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर दिनांक 22.05.2025 को अज्ञात चोर द्वारा नवदरी मेंहदावल में स्थित मार्बल, टाइल्स और ग्रेनाइट की दुकान के काउंटर से 80,000 रुपया व सीसीटीवी कैमरा, हार्ड डिस्क, टीवी सेटअप बाक्स, वाईफाई गायब करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 199/2025 धारा 331(4)/305 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 24.06.2025 को वादी श्री रामकेश यादव पुत्र परशुराम यादव निवासी डडिया कला थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर दिनांक 07.06.2025 को 09 लोगों द्वारा घलनिया पुल के पास मारपीट कर 35 साड़ी छीन लिये, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 255/2025 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/309(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. सहवाग उर्फ भोलू निषाद पुत्र सरदार निषाद निवासी सई लंगड़ी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
2. विकास साहनी उर्फ लक्की पुत्र सुभाग निवासी सोनवरसा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर।
3. करन निषाद पुत्र जिलाजीत निवासी धौरापार थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।
4. शिवा पासवान पुत्र श्रीराम निवासी नौवदरी थाना मेहदावल संतकबीरनगर।
5. दिलीप निषाद पुत्र जोखू निषाद निवासी तुलसीपुर थाना मेहदावल संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

1. 19 अदद साड़ी
2. 9900 रूपये चोरी से प्राप्त ।

पूछताछ विवरणः-

प्रथम घटना गिरफ्तार किये गये अभियुक्तो से पूछताछ की गयी तो सहवाग द्वारा बताया गया कि साहब दिनाँक 06/07.06.2025 की रात्रि में हम 09 लोग 03 मोटरसाइकिल पर सवार होकर बारात से वापस लौट रहे थे, तभी घलनिया पुल के पास एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहा था, और मोटरसाइकिल पर कपड़े का गठ्ठर बँधा था तथा काफी तेज रफ्तार मे था, जब हम लोग पास पहुँचे तो लगा कि हम लोगो के मोटरसाइकिल मे टक्कर मार देगा, इस पर हम सभी लोग उस मोटरसाइकिल वाले को रोक लिए तथा पूछे कि इतना तेज क्यों मोटरसाइकिल चला रहे हो तो वह व्यक्ति उल्टा-सीधा बोलने लगा तो हम सभी मिलकर उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारे पीटे तथा हमारें कुछ साथी मोटरसाइकिल से चले गए थे। उसके बाद मैं सहवाग, शिवा, विकास, मनीष निषाद वही पर रूक गए तथा मोटरसाइकिल पर लदे गठ्ठर छीन लिये।

द्वितीय घटना दिनांक 22.05.2025 को मैं शिवा पासवान, मनीष निषाद, दिलीप निषाद तीनो लोग मिलकर मार्बल की दुकान में घुसकर दराज मे रखा रूपया तथा CCTV कैमरा, हार्ड डिस्क, टीवी सेटअप बाक्स, वाई-फाई व DVR को निकाल लिए तथा बाहर ले जाकर फेंक दिये थे तथा रूपये हम लोग आपस मे बांट लिए थे।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

उ0नि0 श्री ददन राय, उ0नि0 श्री रामाश्रय प्रसाद, हे0का0 मोतीलाल यादव, का0 अनुराग सिंह, का0 वीरेन्द्र कुमार रावत, का0 धीरेन्द्र सिंह, का0 मिन्टू गुप्ता, का0 अभिनन्दन गौड़, का0 धर्मेन्द्र यादव।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्व दवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना बेलहरकला पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 543/2025 धारा 137(2),115(2), 87, 65(1),352,351(3) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अखिल राय पुत्र उपेन्द्र राय निवासी बालूशासन थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 25.06.2025 को डीघा बाईपास से औद्योगिक क्षेत्र से थोड़ी दुर मोड़ के पास जाने वाले मार्ग के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 24.06.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादिनी की नाबालिग बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 25.06.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** उ0नि0 श्री सूर्यभान यादव, का0 संदीप यादव, का0 उत्तम मद्धेशिया।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 203 वाहनों से 2,48,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 25.06.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 203 वाहनों से 2,48,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी मारपीट के मामले में 02 अभियुक्तगण को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 24.06.2025 को ***माननीय न्यायालय जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा 02 अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

एन0सी0आर0 न0 33/1999 धारा 323,504 भादवि थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से संबंधित 02 अभियुक्तगण 01.दुलारे मल्लाह पुत्र फिरंगी 02. बजरंगी मल्लाह पुत्र साधू निवासी फुलई थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को दोषसिद्ध अभियुक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्तगण दुलारे मल्लाह व बजरंगी मल्लाह को धारा 323 भादवि प्रत्येक अभियुक्तगण को जेल बितायी गयी अवधि धारा 504 भादवि में प्रत्येक अभियुक्तगण द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि एवं 500 रुपये (कुल एक हजार रुपये) के अर्थ से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण उपरोक्त को 03-03 दिवस का साधारण कारावास से भुगतना होगा।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप महिला के साथ छेड़खानी के मामले में 02 अभियुक्तगण को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 25.06.2025 को ***माननीय न्यायालय एएसजे/पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनग*** के द्वारा 02 अभियुक्तगण को 03-03 वर्ष कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 1120/2016 धारा 3354क,323/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता 1- भालचन्द पुत्र रामचरन निवासी सांखी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 2- बलराम पुत्र सुग्रीव निवासी प्रजापतिपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को दोषसिद्दि के आधार पर अभियुक्त हरिचन्द्र दोषसिद्ध अभियुक्तगण भालचन्द व बलराम को अन्तर्गत धारा-323 भादवि में 06-06 माह का सश्रम कारावास व 500-500 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास तथा 7/8 पाक्सो एक्ट में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000-2000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह का साधारण कारावास से भुगतना होगा।

आज दिनाँक 25.06.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को पुलिस वाहन से चिकित्सालय पहुँचाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा दी गयी बाईट